ईमेल–cfontl.ukfs@gmail.com,

पत्रांक:- सी0एफ0**ओ0-न-6(इ0) / 2022** सेवा में:

दिनांक-फरवरी 3,2022

PRINCIPAL, GOVERNMENT POLYTECHNIC KANDA, DALEAN MALLA, NEAR GOVT ITI KANDA, DISTI-BAGESHWAR, UTTARAKHAND,

विषय:- अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक एवं आवेदक के आवेदन पत्र सं0—18039545 दिनांक:—29.01.2022 के परिपेक्ष्य में इस कार्यालय से निर्गत आदेश दिनांक:30.01.2022 के अनुपालन में प्रभारी अग्निशमन अधिकारी बागेश्वर द्वारा GOVERNMENT POLYTECHNIC KANDA, DALLAN MALLA, NEAR GOVT ITI KANDA, का प्राथमिक अग्निसुरक्षा दृष्टिकोण से निरीक्षण किया गया, इस कार्यालय को प्रेषित आख्या के अनुसार वर्तमान में निम्नांकित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था पाई गई।

1.परिसर में रिज़र्व वाटर टैंक 11500 लीं0 क्षमता का प्राविधान किया गया है।

2.संस्थान परिसर्ह में 06 अदद् ABC टाईप फायर एक्सिटिंग्यूशर-04 किग्रा क्षमता, 03 अदद् CO. टाईप फायर एक्सिटिंग्यूशर-4.5 किग्रा क्षमता एवं 01 अदद होजरील मय फिटिंग्स का प्राविधान किया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त **संस्थान का किसी भी कार्य दिवस में मुझ अ**धोहस्ताक्षरी द्वारा अग्निसुरक्षा दृष्टिकोण से

निरीक्षण किया जा सकता है साथ ही निर्देशित किया जाता है कि –

- 1. संस्थान के विस्तार/अतिरिक्त निर्माण किये जाने की दशा में तदनुसार NBC-2016 के Part-04 में निहित मानकों के अनुसार अतिरिक्त अग्निसुरक्षा व्यवस्था किया जाना अनिवार्य होगा।
- 2. संस्थान / परिसर में प्रत्येक समय पानी रिजर्व रखा जाना अनिवार्य होगा तथा स्थापित अग्निसुरक्षा व्यवस्था की कार्यक्षमता व रख-रखाव को प्रत्येक समय उच्च स्तर पर बनाये रखेगे।
- 3. सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते, सैटबैक तथा सीढ़ियां प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखी जाये।
- 4. आपके संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों का सुरक्षित निष्क्रमण प्रक्रिया (Evacuation) का ज्ञान होना आवश्यक है।
- 5. विद्युत स्विच ब्रोडिं / विद्युत पैनल के आस-पास तथा निकास मार्ग, भवन सैट बैक क्षेत्र में किसी समाग्री का भण्डारण नहीं किया जायेगी, भण्डारण किये जाने पर यह प्रबन्धन की लापरवाही मानी जायेगी तथा भविष्य में अग्निदुर्घटना घटित होने पर बीमा दाल हेल् संस्तुति नहीं की जायेंगी।
- 6. प्रत्येक 03 वर्ष ही पूर्व इस कार्यालय से अग्निशमन यन्त्रों का परीक्षण कराकर (नियमानुसार (10 रू० प्रति फायर एक्सिटियूशर टैस्टिंग शुल्क) निर्धारित शुल्क—(फायर सर्विस हैंड 0070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं 60 अन्य सेवाये , 109 अग्नि से संरक्षण एवं नियन्त्रण कराया जायेगा) अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण—पत्र का नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा। प्रमाण—पत्र नवीनीकृत नहीं कराये जाने की दशा में यह अनापत्ति प्रमाण—पत्र स्वतः ही निरस्तः समझा जायेगा। साथ ही प्रत्येक छः माह में भवन अथवा परिसर में अग्निसुरक्षा व्यवस्था एवं उपकरणों की स्थिति संतोषजनक एवं कार्यशील होने का स्व—घोषणा प्रमाण—पत्र / SELF AUDUT REPORT प्रस्तुत / अपलोड करना होगा।

7. निर्गत अग्निसुरक्षा प्रमाण-पत्र का उपयोग किसी अवैध निर्माण/कब्जे को नियमित करने के लिए मान्य नहीं होगा।
अतः इस कार्यालय से दिये गये निर्देश/सुझाव तथा शर्ता का पालन किए जाने एवं प्रभारी अग्निशमन
अधिकारी बागेश्वर द्वारा मुझ अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रेषित संस्तुति आख्यां पत्रांक-फायर रिस्क-16/2021 के
आधार GOVERNMENT POLYTECHNIC KANDA, DALLAN MALLA, NEAR GOVT ITI KANDA. को दिनांक-03
फरवरी 2022 से 02 फरवरी 2025 तक अधिभोग (Occupancy)/अध्यासन किए जाने हेतु अग्निसुरक्षा दृष्टिकोण से इस
कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।

अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

मुख्य अभिनुष्मम् अभिकारीकार मुख्य अभिनुष्मम् मुख्य-नीतील (हल्द्वानी) नेनीताल (हल्द्वानी)

कार्यालय प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटेक्निक काण्डा (बागेश्वर)।

पत्रांक : 260 / रा0पा0का0 / छात्र विविध / 2021–22, दिनांक : 18 / 10 / 2021 I

स्चना -

संस्था के प्रथम वर्ष में प्रवेशित समस्त छात्र–छात्राओं को सूचित किया जाता है कि दिनांक 21 अक्टूबर 2021 को Induction Programme आयोजित किया जायेगा। जिसमें पाठ्यक्रम, परीक्षा, श्रेक्षणिक गतिविधियों एवं संस्था संबंधी अन्य जानकारियों से अवगत कराया जायेगा।

अतः समस्त छात्र / छात्रायें आक्श्यक रूप से दिनांक 21 अक्टूबर 2021 को उपस्थित होना सुनिह्यित करेंगे।

reliancegeneral.co.in 022-4890 3009 Peld) 1800 3009 (Tall Free! © 74004 22200 (WhitsAppl S

Reliance Bharat Sookshma Udyam Suraksha Policy-Retail Policy

				1) Nyy
Policy Issuing Office:	Reliance General Insurance Co. Ltd.			Bund
,,	6th Floor, Oberoi Commerz,			100
	Oberol Garden City,			nal
	Off Western Express Highway			(dV)
	Goregaon (East), Mumbai - 400 063, I	India		1714
Policy Servicing Branch Office:	2ND FLOOR, ABOVE KFC, 65 RAJPUR ROAD, DEHRADUN, UTTARANKHAND-248001,0,0,PIN -248001,			
,	Contact No - 0444 99999999		248001,	
Agency / Broker Code:	21A44740			
Agency / Broker Name:	PRIYA VERMA			
Policy No:	190562221220013303			
Details of proposal & declaration:	Proposal No.:R26032223799 Date:26	/03/2022		
Tax Invoice No. & Date:	R26032223799 & 26/03/2022			
Business Type	New Business			
Details of previous policy (in case of	Not Applicable			
renewal):				
Name of the Insured:	PRINCIPAL GOVERNMENT POLYTECHNI			
Address for Communication:	GOVT POLYTECHNIC, KANDA KANDA E	BAGESHWAR "BAGESHWAR,BAGESHWA	D LITTAD AUGUSTA	
Contact Datati	Mobile no. 9045894310		R,UTTARAKHAND,PIN -2	63631.
Contact Details	Landline no.	E-mail id:		
GSTIN of the Insured:				
Nature of Business of Insured:				
Financial Interest Name and Address				
of financier:	Not Available			
Period of Insurance:	From 12:11 Hours on 26/03/2022 To Mid-night of 25/03/2023			
Total Sum Insured(in Rs)	2,500,000			
Co-insurance Details	Reliance General Insurance Company Ltd. 100% (OWN)			

	Address of the Location# 1: GOVT POLYTECHNIC , KANDA KANDA BAGESHWAR ,, BAGESHWAR BAGESHWAR UTTARAKHAND - 263631
	Occupancy at location :Schools / Colleges
Details of the risk location covered	Description of the risk and covered :SCHOOL/COLLEGES
and Sum Insured and other details of Bifurcation of Sum Insured	
insured property	Plant & Machinery Rs. 2,500,000
	Total Sum insured at this location = Rs. 2,500,000

In-Built Covers	 Computer programmes, information and data upto Rs. 500,000/- (per event and in aggregate during the policy period) Theft Within 7 Days from the occurrence of, and proximately caused by, any of the Insured Events Deeds, manuscripts and business books, plans, drawings, securities, obligations or documents of any kind but only upto Rs. 50,000/- (per event and in aggregate during the policy period) Additions Alterations And Extensions - upto 15% of the sum insured for that item (excluding stocks) Startup Expenses Upto Rs. 100,000/- (per event and in aggregate during the policy period) Earthquake, volcanic eruption, or other convulsions of nature - Rs. 2,500,000 Storm, Cyclone, Typhoon, Tempest, Hurricane, Tornado, Tsunami, Flood and Inundation - Rs. 2,500,000 Storm, Cyclone, Typhoon, Tempest, Hurricane, Tornado, Tsunami, Flood and Inundation - Rs. 2,500,000 Temporary removal of Machinery And Equipments From The Premises Money upto Rs. 50,000/- (per event and in aggregate during the policy period) Impact damage of any kind, i.e., damage caused by impact of, or collision caused by any external physical object (e.g. vehide, animal, falling trees, aircraft, wall etc.) Removal of Debris - Upto 2% of the daim amount, if incurred Temporary removal of stock - Upto 10% of the insured stock Spontaneous Combustion Costs compelled by Municipal Regulations upto total sum insured of building Employees', Directors', visitors' personal effects of every description (other than motor vehicles) for value upto Rs. 300,000 /- (Rs. 15,000/- per person subject to a maximum of 20 persons) during the policy period Professional fees - upto 5% of claim amount
Deductible applicable	For other than Terrorism Claims: Rs. 5,000/- for each and every loss Terrorism Claims: As per excess as per Sabotage and Terrorism Damage Cover Endorsement wording as provided by Indian Market Terrorism Risk Insurance Pool
Warranties	MD- Class of Construction Risk is not situated in basement
Clauses Applicable	Sabotage and Terrorism Damage Cover Endorsement as per Indian Market Terrorism Risk Insurance Pool wording Designation of property clause Communicable Disease Exclusion Clause Terrorism Exclusion Clause for Contamination and Explosives

Bronder D. D.	
Net Premium Details	Amount (Rs.)
	1,265.00

An ISO 9001:2015 Certified Company

1/21

Reliance General Insurance Company Limited. IRDAI Registration No. 103.

Registered & Corporate Office: Reliance General Insurance Company Limited of Floor, Oberoi Commerz, Oberoi Garden City, Off Western Express Highway, Gerparate Identity No. 166603MH2000PLC128300 Reliance Bharat Sooksham Udyam Suraksha UIN No.: IRDAN103RP0019V01202021. PAN NO.: AABCR6747B RGLMCOM CO/RBSUS_PS/VER_10/040321

reliancegeneral.co.in 022-4890 3009 Pold 1800 3009 (Tall Free 74004 22200 WhatsApp

Add: Terrorism premium	375.00
Total Net Premium	1,640.00
Add: CGST (9 % of Total Net Premium)	147.60
Add: SGST (9 % of Total Net Premium)	147.60
Total Gross Premium (Rounded Off)	1,935.00

GSTIN: 05AABCR6747B1ZM; HSN: 997137; Description of services: Other property insurance services "Category-General Insurance Business Service 00440005

Consolidated Stamp duty paid vide Letter of Authorisation No. NO.LOA/CSD/254/2022/(Validity Period Dt.15/02/2022 to 30/07/2022)/426 dated 25th January 2022 at General Stamp Office, Mumbal.

** Not applicable for the State of Jammu and Kashmir.

In witness whereof this policy has been signed at Mumbai on policy original tax invoice date 26/03/2022 in lieu of Policy No. as mentioned in the policy.

For any assistance on daims, please contact us at 74004 22200, (022) 4890 3009 or email us at rgicl.services@relianceada.com

Grievance Clause: For resolution of any query or grievance, Insured may contact the respective branch office of the Company or may call at 1800 3009 (toll free), (022) 4890 3009 or may write an email at raid.services@relianceada.com. In case the insured is not satisfied with the response of the office, insured may contact the Nodal Grievance Officer of the Company at raicl.grievances@relianceada.com. In the event of unsatisfactory response office, insured may contact the Notal Grievance Officer of the Company at <u>ruid-unevances@relanceada.com</u>. In the event of unsatisfactory resp from the Notal Grievance Officer, insured may email to Head Grievance Officer at <u>roid-headgrievances@relianceada.com</u>. In the event of unsatisfactory response from the Head Grievance Officer, he/she may, subject to vested jurisdiction, approach the Insurance Ombudsman for the redressal of grievance. Details of the offices of the Insurance Ombudsman are available at IRDAI website <u>www.irda.gov.in</u> or on company website www.reliancegeneral.co.in or on www.gbic.co.in. The insured may also contact the following office of the Insurance Ombudsman within whose territorial jurisdiction the branch or office of the Company is located: Shri. Ajesh Kumar Office of the Insurance Ombudsman,Bhagwan Sahal Palace 4th Floor,Main Road,Naya Bans,Sector 15,Distt: Gautam Buddh Nagar,U.P-201301. Tel.: 0120-2514250 / 2514253 Email:

IRDAI/(IGMS/Call Centre):

Through IGMS, Insured can register the complaint online and track its status. For registration please visit IRDAI website www.irdai.gov.in.
Toll free number: 1800 4254 732

Timings: 8 AM to 8 PM--(Monday to Saturday).

Ombudsman:

In case you/insured person are not satisfied with our decision/resolution, you may approach the Insurance Ombudsman.

Note

In the event of dishonor of cheque, this policy document automatically stands cancelled from inception, irrespective of whether a separate communication is sent or not.

This document shall be treated as a Tax Invoice as per Rule 46 of the Central Goods and Services Tax Rules 2017.

The policy wording with detailed terms, conditions and exclusions are available on our website www.reliancegeneral.co.in Policy wordings link: www.reliancegeneral.co.in/Insurance/About-Us/Downloads.aspx

> For and on behalf of Reliance General Insurance Company Limited.

> > **Authorized Signatory**

relianceganeral.co.in 022-4890 3009 Pead 1800 3009 rt of Freed 74004 22200 Whenshop (

Corporate Office/Policy Issuing Office:

Policy Servicing Branch Office :

Reliance General Insurance Co. Ltd

Oberoi Garden City, Off Western Express Highway, Goregaon (Fast) Mumbai – 400 063.		248001, DEHRADUN, DE	ajpur Road, Dehradun, Uttaran HRADUN,UTTARAKHAND 248 5-7304521004	khand- / 001
		0.0	0 100 102 102 1	
	Burglary and Hou	use Breaking Insurance Policy		
Policy No: 190522229110000198				
Proposal/Covernote No: R2603222 Date of proposal & declaration: 26	R/03/2022 12:03			
Name of the Insured:M/S PRINCIP	PAL GOVERNMENT POLYTECHNIC	C KANDA	IDA-263631.	
Address of the Insured: GOVT P	OLYTECHNIC , KANDA KANDA B	G KANDA AGESHWAR ,,,BAGESHWAR,,KAN		
TAX Invoice No & Date : R26032224467 &	26/03/2022			
GSTIN/UIN & Place Of Supply : NA & UTTA	ARAKHAND	2022		
Period of Insurance: From 26/03/2	2022(00:00) To midnight on 25/03/.	2023		
Business or Occupation:				
Description and situation of the p	remises containing the property i	nstred.	Occupancy	
			Schools / Colleges	
Address GOVT POLYTECHNIC , KANDA KA 263631	ANDA BAGESHWAR ,,, BAGESHWA	with building not communicating with		
263631 (Note: The premises shall not include	de any yard, garden, open space or	out-building not communicating with	Total	Sum Insured (Rs)
Property Insured/ full description	of the property			2500000
Plant and Machinery To Be Covered	.			2500000
Total(Rounded Off)				
Extensions, if any :				
Warranty :	 24hrs watch and ward Facili 		out the policy period.	
Condition :	Stocks / content kept in ope			
	Premium	Summary		
Premium Bre	s e kup	Amount(F	Rs.)	
Net Premium		1		500.00
CGST @ 9.00 % of Net Premium				45.00
SGST @ 9.00 % of Net Premium		51-		45.00
Total Premium				590.00
CETIN : 05AARCR6747R17M HSN : 997	139			

Description of Services: Other non-life insurance services (excluding reinsurance services)

Consolidated Stamp Duty Pald vide Letter of Authorization No. NO.LOA/CSD/254/2022/(Validity Period Dt.15/02/2022 to 30/07/2022)/426 Dated 1/25/2022 at General Stamp Office, Mumbai. ** Not Applicable for the State of Jammu & Kashmir

Note: In the event of dishonour of cheque, this policy document automatically stands cancelled from inception, irrespective of whether a separate communication is sent or not.

Grievance Clause: For resolution of any query or grievance, Insured may contact the respective branch office of the Company or may call at 1800 3009 ((022) 4890 3009 or may write an email at rgicl.services@relianceada.com. In case the insured is not satisfied with the response of the office, insured may contact the Nodal Grievance Officer of the Company at rgicl.grievances@relianceada.com. In the event of unsatisfactory response from the Nodal Grievance Officer, insured may email to Head Grievance Officer at rgicl.headgrievances@relianceada.com. In the event of unsatisfactory response from the Head Grievance Officer, he/she may, subject to vested juisdiction, approach the Insurance Ombudsman for the redressal of grievance. Details of Insurance Ombudsman are available at IRDAI website www.irdai.gov.in or on company website www.reliancegeneral.co.in or on www.gbic.oc.inShri. Ajesh Kumar Office of the Insurance Ombudsman, Bhagwan Sahal Palace 4th Floor, Main Road, Naya Bans, Sector 15, Distt: Gautam Buddh Nagar, U.P-201301. Tel.: 0120-2514250 / 2514252 | 2514253 | Email: bimalokpal.noida@gbic.co.in

The policy wording with detailed terms, conditions and exclusions are available on our website www.reliancegeneral.co.in

In witness where of this policy has been signed at Mumbal on 26/03/2022

For any assistance with claims, please contact us on 74004 22200 /(022) 4890 3009 (toll free) or email us at services.rgicl@rcap.co.in

Date: 26/03/2022

For Reliance General Insurance Company Limited

07455885522 / 7455885522

Agent Code/Name: Agent Contact No:

21A44740/PRIYA VERMA

Duly Constituted Attorney(s)

Authorized Signatory

Reliance General Insurance Company Limited, IRDAI Registration No. 103.

An ISO 9001:2015 Certified Company Registered Office & Corporate Office: Reliance General Insurance Company Limited 6th Floor, Oberoi Commerz, International Business Park, Oberoi Garden City, Off Western Express Highway, Goregaon (East), Mumbai— 400 063.

Corporate Identity No. U66603MH2000PLC128300. UIN: IRDAN103P0015V01200102.

Trade Logo displayed above belongs to Anil Dhirubhai Ambani Ventures Private Limited and used by Reliance General Insurance Company Limited under License. RGI/UW/CO/2911/PS/VER. 1.0/310118.

ATTACHED TO AND FORMING PART OF THE POLICY NO:190522229110009198

AGREED BANK CLAUSE

- L That upon any monies becoming payable under this policy the same shall be paid by the Company to the Bank and such part of any monies so paid as
- may relate to the interests of other parties insured hereunder shall be received by the Bank as Agents for such other parties.

 ii. That the receipts of the Bank shall be complete discharge of the Company therefore and shall be binding on all the parties insured hereunder.
- N.8: The Bank shall mean the first named Financial Institution/ Bank named in the policy
- iii. That if and whenever any notice shall be required to be given or other communication shall be required to be made by the Company to the insured or any of them in any manner arising under or in connection with this policy such notice or other communication shall be deemed to have been sufficiently given or made if given or made to the Bank.
- That any adjustment, settlement, compromise or reference to arbitration in connection with any dispute between the Company and the insured or any of them arising under or in connection with this policy if made by the Bank shall be valid and binding on all parties insured hereunder but not so as to impair rights of the Bank to recover the full amount of any claim it may have on other parties insured hereunder
- ance so far only as it relates to the interest of the Bank therein shall not cease to attach to any of the insured property by reason of operation of condition 3 of the Policy except where a breach of the condition has been committed by the Bank or its duly authorised agents or servants and this insurance shall not be invalidated by any act or omission on the part of any other party insured hereunder whereby the risk is increased or by anything being idene to upon or any building hereby insured or any building in which the goods insured under the policy are stored without the knowledge of the Bank provided always that the Bank shall notify the Company of any change of ownership or alterations or increase of hazards not permitted by this insurance as soon as the same shall come to its knowledge and shall on demand pay to the Company necessary additional premium from the time when such increase of risks first took place and
- vi. It is further agreed that whenever the Company shall pay the Bank any sum in respect of loss or damage under this policy and shall claim that as to the Mortgagor or owner no liability therefore existed, the Company shall become legally subrogated to all the rights of the Bank to the extent of such payments but not so as to impair the right of the Bank to recover the full amount of any claim it may have on such Mortgagor or Owner or any other party or parties insured hereunder or from any securities or funds available.

For and on behalf of

Reliance General Insurance Company Limited

Ar **Authorized** Signatory

Coinsurance Clause

- d hereunder severally agree and accept the following for the proportion set against its name:
- 1.1. In event of any claim being admissible by the insurer lowards the liability, to pay or make good to the insured the value of the property at the time of the happening of its loss or destruction or the amount of such damage thereto as provided for under the policy and or
 1.2. To indemnify the insured against liability at law or damage to any property or injuries to persons as provided for under the policy
- 2 Co-insurance Schedule:

L			
	SH	Name of the Insurer	Share (%)
	1	Reliance General Insurance Company Ltd.	100.0000

3 Conditions forming part of this clause

- It is hereby agreed and understood that:
- 3.1 The Insured in exercise of his option has after having understood the implications, selected the above named lead Insurer and the named Co-insurers vide sr. Nos. of the co-insurence exhadule as in point no. 2 under the policy.
- 3.2 The duties of insured would devolve upon the authorized intermediary licensed by IRDA (referred to as authorised representative here after) where the insured appoints such authorized intermediary to transact on his behalf with the insurer/s.
- 3.3 It shall be the responsibility of the insured or his authorised representative licensed by IRDA to decide on the panel of co-insurers and their respective shares of the risk herem as set out in co-insurence share under paragraph 2 above and communicate the same to all such participating co-insurers, prior to assumption of risk.
- 3.4 The lead insurer shall finalise the terms and conditions applicable to the risk in the form of an underwriting slip with a unique code to be handed over to the insured/Authorised intermediary.
- 3.5 II shall be the responsibility of the insured or his authorized representative to ensure that all insurers tisted in the co-insurance schedule under paragraph 2 above, are fully searce of the terms and conditions of this policy and shall secure their unqualified acceptance of such terms and conditions prior to issuance of cover and inclusion of naturers in this co-insurance arrangement.
- 3.6 During the currency of the policy, if there are any material changes in risk or as changes in original terms and conditions such as variation in Sum insured, changes in premium changed, extension of policy period, etc., the same shall be communicated by the insured or his authorised representative giving sufficient advance notice of 7 days to the leader as well as all other participating co-insurers listed in the co-insurance schedule under paragraph 2 above and procure confirmation thereon. The endorsement this effect shall be executed by the lead insurer under advice to all other participating co-insurers.
- 3.7 The liability of the insurers shall in no case exceed in respect of each item of the sum expressed in the set schedule to be insured thereon or in the all, the total intensity or sums as may be substituted thereof by endorsement.
- 3.6 in the event of any of the treatmen, chosen by the Insured as per peragraph 3.1 above and listed in the co-insurance schedule, withdrawing from participation in this Policy at any time during the currency effect giving due notice of 14 days, the insured shall arrange for an alternative insurer to take up the full share of risk vacated by the austing insurer in the event of insured failing to do so, the insured shall be considered as his own insurer for such share of risk or part there of which is not taken up by such
- 3.0 in the event of a clean under this policy, the insured shall give notice of its occurrence to the Lead Insurer with a copy to all the insurers as listed in clause 2 above.

Reliance General Insurance Company Limited, IRDAI Registration No. 103.

An ISO 9001:2015 Certified Company Registered Office & Corporate Office : Reliance General Insurance Company Limited 6th Floor, Oberoi Commerz, International Business Park, Oberoi Gerden City, Off Western Express Highway, Goregeon (East), Murnbai – 400 063, Corporate Identity No.U66603MH2000PLC128300. UIN: IRDAN103P0015V01200102.

Trade Logo displayed above belongs to Anii Dhirubhai Ambani Ventures Private Limited and used by Reliance General Insurance Company Limited under License. RGI/UW/CO/2911/PS/VER. 1.0/310118.

BELIANCE GENERAL IN STREET

- 3.10 Upon receipt of such notification of claim, at claim related activities including appointment of surveyors, etc shall be done by the lead insurer who shall decide the admissibility as well as quantum of the claim and the co-insurers shall stickle by the same.
- 3.11 In the event of any claim being value of more than 5 crows the least insorter can investigately demand and the following on insorter and pay the cash call of their proportionate share of loss.
- 3.12 In all other cases, where the Lead treurer pays 100% of the desessed lose, the following co-insurer/s shall remit their share of the lose to the Lead frauerry willin a maximum period of 21 days from the date on which the Lead frauer makes the designed.
- Lead treamer's declaration that the Claim and the amount there of was in accordance with terms and conditions of the Policy issued shall be considered sufficient by the co-insurers for the purpose of remitting their share of the loss to the Lead Insurer.
- 3.13 The co-insurers forming part of this agreement shall be entitled to demand and obtain from the Lead Insurenfrésimilitaries copies of all policies, endorsements or officer desire related documents relevant to this co-insurance clause.
- In witness, whereof, this policy has been signed by Retance General traurance Company (Lead Insurer) for Itself and as authorized agents for other participating insurers remode Company (Lead Insurer) for Itself and as authorized agents for other participating insurers remode. white to the terms, exceptions, conditions and limitations of this policy.

Reliance General Insurance Company Limited. IRDAI Registration No. 103. An ISO 9001:2015 Certified Company Registered Office & Corporate Office: Reliance General Insurance Company Limited 6th Floor, Oberol Commerz, International Business Park, Oberol Garden City. Off Western Express Highway, Goregaon (East), Mumbai— 400 063.

Corporate Identity No.U6686/3MH2000PLC128300. UIN: IRDAN103P0015V01200102.

Trade Logo displayed above belongs to Anil Dhirubhai Ambani Ventures Private Limited and used by Reliance General Insurance Company Limited under License. RGI/UW/CO/2911/PS/VER: 1.0/310118.

कार्यालय प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटेक्निक काण्डा बागेश्वर

पत्रांक : 05-7 / रा०पा०का० / स्था० / समिति / 2022-23,

दिनांक : 🔿 / 04 / 2022 ।

संस्था के विभिन्न कार्यों को सुचारू रूप से संपादित करने हेतु सत्र 2022—23 के लिये निम्नलिखित अधिकारियों / कर्मचारियों की समितियां गठित की जाती है एवं समस्त स्टॉफ से यह अपेक्षा की जाती है कि छात्र हित एव संस्था हित को दृष्टिगत रखत हुये सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना से आवंटित कार्यों का निष्पादन पूर्ण ईमानदारी एव कर्तव्यनिष्ठा से करना सुनिश्चित करेगें जिससे संस्था में शिक्षण / प्रशिक्षण तथा अन्य प्रशासनिक कार्यों में गुणात्मक सफलता हासिल की जा सकें और संस्था को इसका अधिकाधिक लाभ मिल सकें।

1- शैक्षिक एवं संस्था विकास समिति :

	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	घारित पद
1.	श्री कवित सुयाल, कर्मशाला अनुदेशक	संयोजक
2.	श्री महेश गोस्वामी, कर्मशाला अनुदेशक	सह संयोजक
3.	सुश्री ज्योत्सना सिंह, कम्प्यूटर प्रोग्रामर कम ऑपरेटर	सह संयोजक

यह समिति संस्था की सर्वोच्च समिति होगी जो अधोहस्ताक्षरी के अधीन संस्थान में उच्चस्तरीय गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण बनाने, छात्रों एवं स्टॉफ सदस्यों को सुविधापूर्ण त्वरित सेवायें प्रदाने करने तथा संस्था के अन्य विकास परक कार्य हेतु समस्त आवश्यक प्रशासनिक एवं अन्य निर्णय में सम्यक भागीदारी हेतु समय—समय पर संस्तुति करेगी। यह समिति कक्षाओं के नियमित संचालन का निरन्तर अनुश्रवण करेगी तथा समय—समय पर अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराना सुनिश्चित करेगी तथा प्रत्येक माह शैक्षणिक आख्या निदेशालय को भी प्रेषित कराने हेतु आवश्यक व्यवस्था करेगी। निम्न समिति शैक्षिक तथा सहायक शैक्षिक अधिकारी के दायित्व का भी निर्वहन करेगी।

2- मण्डार एवं क्रय समिति :

क0सं0	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	धारित पद
1.	श्री कवित सुयाल, कर्मशाला अनुदेशक	स्टोर अधिकारी
2.	श्री महेश गोस्वामी, कर्मशाला अनुदेशक	सहायक स्टोर अधिकारी
3.	श्री आशीष कुमार ठाकुर, कनि०सहा० / कम्प्यू०ऑप०	स्टोर प्रभारी
4.	सुश्री ज्योत्सना सिंह, कम्प्यूटर प्रोग्रामर कम ऑपरेटर	स्टोर सहायक

आपूर्तित सामग्री का भौतिक सत्यापन याचित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा तथा संबंधित लैब/विभाग के अध्यक्ष/प्रभारी द्वारा प्रक्तहस्ताक्षरित किया जायेगा

यह समिति वित्तीय एवं अन्य संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार संस्था में होने वाले भण्डार इत्यादि की प्राथमिकता के अनुसार कार्य योजना बनाकर संस्था में सामग्री संबंधित समस्त कार्य अधिप्राप्ति नियमावली 2008 (यथा संशोधित) के अनुसार अधोहस्ताक्षरी के निर्देश में सम्पन्न करेगी।

4- छात्र अनुशासन समिति :

क0सं0	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	धारित पद
	श्री कवित सुयाल, कर्मशाला अनुदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री महेश गोस्वामी, कर्मशाला अनुदेशक	सदस्य
3.	सुश्री ज्योत्सना सिंह, कम्प्यूटर प्रोग्रामर कम ऑपरेटर	सदस्य

यह समिति छात्र/छात्राओं के अनुशासन को बनाये रखने हेतु यह समिति कार्य करेगी।

ben

5- एंटी रैगिंग समिति :

क0सं0	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	घारित पद	
1.	श्री कवित सुयाल, कर्मशाला अनुदेशक	अध्यक्ष)
2.	श्री महेश गोस्वामी, कर्मशाला अनुदेशक	सदस्य	
3.	सुश्री ज्योत्सना सिंह, कम्प्यूटर प्रीग्रामर कम ऑपरेटर	सदस्य	
4.	श्री गणेश चन्द्र, कनिष्ठ सहायक	सदस्य	

यह समिति छात्र/छात्राओं के रैगिंग के मामले अन्य विवाद का निपटान करेगी। माह में संस्था में हुये ऐसे प्रकरण को प्रोक्टोरियल बोर्ड के समक्ष रखने तथा उस पर नियमानुसार कार्यवाही किये जाने के संबंध में भी यह समिति कार्य करेगी।

6 — अनुसूचित जाति / जनजाति समिति :

		घारित पद
क0स0	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	वा।रत पप
1	श्री कवित सुयाल, कर्मशाला अनुदेशक	अध्यक्ष
2	श्री महेश गोस्वामी, कर्मशाला अनुदेशक	सदस्य
3	श्री विष्णु राम, वरिष्ठ सहायक	सदस्य
4	श्री गणेश चन्द्र, कनिष्ठ सहायक	सदस्य

यह समिति एस०सी० / एस०टी० से संबंधित सभी मामलों का निवारण करना सुनिश्चित

करेगी।

7- आन्तरिक शिकायत समिति :

क0सं0	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	धारित पद
1	श्री कवित सुयाल, संस्थागत	अध्यक्ष
2	श्री महेश गोस्वामी, संस्थागत	सदस्य
3	सुश्री ज्योत्सना सिंह, संस्थागत	सदस्य
3	श्री विष्णु राम, संस्थागत	सदस्य
5	श्री गणेश चन्द्र, संस्थागत	सदस्य
	गीतांजली तिवारी, छात्रा ,तृतीय वर्ष	सदस्य
6	अशोक चन्द्र जोशी, छात्र तृतीय वर्ष	सदस्य
7		सदस्य
8	दीपेश भट्ट, छात्र द्वितीय वर्ष	

यह समिति संस्था परिसर में छात्र/छात्राओं की आन्तरिक शिकायतों संबंधी समस्त शिकायतों का निवारण करेगी।

8- एण्टी रैगिंग स्क्वायड :

0 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		
क0सं0	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	धारित पद
40(10	श्री कवित सुयाल, कर्मशाला अनुदेशक	अध्यक्ष
1		सदस्य
2	श्री महेश गोस्वामी, कर्मशाला अनुदेशक	सदस्य
3	श्री गणेश चन्द्र, कनिष्ठ सहायक	
4	श्री आशीष कुमार ठाकुर, कनि०सहा० / कम्प्यू0ऑप0	सदस्य

यह समिति संस्था परिसर में होने वाली समस्त गतिविधियों पर निगरानी रखेगी तथा समय समय पर औचक निरीक्षण कर अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराना सुनिश्चित करेगी।

9- प्रोक्टोरियल बोर्ड :

क0सं0	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	धारित पद
	श्री कवित सुयाल, कर्मशाला अनुदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री महेश गोस्वामी, कर्मशाला अनुदेशक	सदस्य
3.	श्री आशीष कुमार ठाकुर, कनि०सहा०/कम्प्यू०ऑप०	सदस्य

यह बोर्ड आवश्यकतानुसार अनुशासन समिति द्वारा पूरे माह में संज्ञान में लाये गये अनुशासन संबंधित प्रकरण पर अनिवार्यतः माह में एक बार तथा आवश्यकता पड़ने पर यथासमय बैठक कर आवश्यक निर्णय की संस्तुति करेगी।

10— भवन निर्माण कार्य / अनुरक्षण समिति :

क0सं0	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	घारित पद
1.	श्री कवित सुयाल, कर्मशाला अनुदेशक	भवन अधिकारी / प्रभारी / अध्यक्ष
2.	श्री महेश गोस्वामी, कर्मशाला अनुदेशक	सदस्य
3.	श्री गणेश चन्द्र, कनिष्ठ सहायक	सदस्य
4.	श्री आशीष कुमार ठाकुर, कनिo सहाo / कम्प्यूoऑपo	सदस्य

यह समिति संस्था के समस्त निर्माण कार्य का अनुश्रवण तथा कियान्वयन एवं आवश्यक भवन अनुरक्षण इत्यादि के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही तथा उसका समुचित कियान्वयन सुनिश्चित करेगी।

11- छात्रवृत्ति एवं छात्र कल्याण समिति :

क0सं0	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	धारित पद
1.	श्री कवित सुयाल, कर्मशाला अनुदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री विष्णु राम, वरिष्ठ सहायक	सदस्य
3.	श्री गणेश चन्द्र, कनिष्ठ सहायक	सदस्य

यह समिति छात्र / छात्राओं के विभिन्न शैक्षणिक भ्रमण व्यवस्था, कैंटीन व्यवस्था एवं समाज कल्याण तथा अन्य छात्रवृत्ति से संबंधित कार्यों यथा छात्रवृत्ति से संबंधित आवेदन पत्रों को प्राप्त कर स्कीनिंग करने के उपरांत समयान्तर्गत समाज कल्याण कार्यालय को प्रेषण जैसे कार्यों को भी करेगी।

12- पुस्तकालय समिति :

•		
क0सं0	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	धारित पद
1.	श्री कवित सुयाल, कर्मशाला अनुदेशक	पुस्तकालय अध्यक्ष
2.	श्री विष्णु राम, वरिष्ठ सहायक	सदस्य

यह समिति पुस्तकालय एवं वाचनालय में ली जाने वाली पुस्तकों, पत्रिका इत्यादि की मांग के अनुरूप उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये पुस्तकालय की पुस्तकों तथा पत्रिकाओं के सम्यक रख रखाव एवं उनके समुचित उपयोग के लिये कार्ययोजना बनाकर उस पर कार्यवाही सुनिश्चित करेगी।

13- अभिमावक / छात्र शिकायत निवारण समिति :

10 011	11147 - 111 1111 1111 1111 1111 1111 111	
1	श्री कवित सुयाल, कर्मशाला अनुदेशक	अध्यक्ष
2	श्री महेश गोस्वामी, कर्मशाला अनुदेशक	सदस्य
3	सुश्री ज्योत्सना सिंह, कम्प्यूटर प्रोग्रामर कम ऑपरेटर	सदस्य
4.	श्री आशीष कुमार ठाकुर, कनि०सहा०/कम्प्यू०ऑप०	सदस्य

यह समिति समस्त छात्र/छात्राओं एवं उनके अभिभावकों की संस्था के संबंध में किसी जिज्ञासा अथवा समस्या के समाधान तथा निराकरण के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने में सहयोग करेगी।

14- परीक्षा समिति :

क0सं0	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	धारित पद
1.	श्री कवित सुयाल, कर्मशाला अनुदेशक	परीक्षा अधिकारी
2.	श्री महेश गोस्वामी, कर्मशाला अनुदेशक	सहायक परीक्षा अधिकारी
3.	श्री आशीष कुमार ठाकुर, कनि०सहा० / कम्प्यू०ऑप०	सदस्य

यह समिति परिषद् द्वारा आयोजित की जाने वाली समस्त परीक्षाओं की व्यवस्था, नियमानुसार परीक्षा एवं छात्र प्रवेश, छात्रों के शैक्षिक अभिलेखों डिजिटल फार्म में संरक्षित रखने, सैत्रिक परीक्षा / टेस्ट एवं सैत्रिक अंको के अभिलेख सुरक्षित रखने संबंधी कार्य करेगी। यह समिति अंतिम रूप से संस्था में होने वाली अन्य किसी प्रकार की बाह्य परीक्षा को संपन्न कराने के लिये आवश्यक व्यवस्था किया जाना भी सुनिश्चित करेगी। उक्त समिति परिषद् द्वारा प्राप्त समस्त परीक्षा परिणामों को संकलित कर दिक्षित्र कर में सुरक्षित रखने तथा परीक्षाफल के संबंध में यथा आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेगें।

15- प्रवेश समिति :

₽ 0₩0	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	_
1	भी क्रिक्त गणन	घारित पद
1.	श्री कवित सुयाल, कर्मशाला अनुदेशक	अध्यक्ष
2 .	श्री महेश गोस्वामी, कर्मशाला अनुदेशक	
3.	सुश्री ज्योत्सना सिंह, कम्प्यूटर प्रोग्रामर कम ऑपरेटर	सदस्य
4.	थी गाणिय चर्च	सदस्य
	श्री गणेश चन्द्र, कनिष्ठ सहायक	सदस्य
5 .	श्री आशीष कुमार ठाकुर, कनि०सहा०/कम्प्यू०ऑप०	
	3, 1001140	सदस्य

प्रवेश समिति जीप के माध्यम से चयनित समस्त छात्र/छात्राओं के प्रवेश संबंधी कार्य का परिषद् के नियमानुसार/निर्देशानुसार समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कराते हुये निपटान करेगी। 16— ट्रेनिंग एवं प्लेसमेंट समिति :

क0सं0	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	entle m
1.	श्री महेश गोस्वामी, कर्मशाला अनुदेशक	धारित पद टी0पी0ओ0
2.	सुश्री ज्योत्सना सिंह, कम्प्यूटर प्रोग्रामर कम ऑपरेटर	टा०पा०आ०
	्रिक्त व्यारराना रिहि, केन्ब्यूटर प्राग्नामर कम आपरटर	सदस्य

यह समिति अध्ययनरत समस्त छात्रों एव समस्त उत्तीर्ण छात्रों हेतु प्लेसमेंट, विगत वर्षों में प्लेसमेंट की वास्तविक स्थिति, इन्स्टीटयूट मैनेजमेंट कमेटी के गठन तथा उसकी कियाशीलता स्थानीय एवं बाहय उद्योगों में छात्रों की मांग हेतु विस्तृत सूचनाओं का प्रबन्धन/अध्ययनरत छात्र/छात्राओं हेतु उद्योगों में ट्रेनिंग की व्यवस्था तथा अंतिम वर्ष के छात्र/छात्राओं के अप्रेन्टिशिप फार्म भरवाने से संबंधित कार्य आदि भी करेगी। साथ ही एल्यूमनी एसोसियेशन की गतिविधियों का प्रभावी संचालन एवं अभिलेखों का रख रखाव भी करेगी। अध्ययनरत छात्रों के प्लेसमेंट से संबंधित सभी अभिलेख टी०पी०ओ० सहायक सुरक्षित रखेगें तथा प्रभारी कैम्पस प्लेसमेंट की समस्त अन्य व्यवस्था सुनिश्चित करेगें।

17- बागवानी एवं परिसर सौन्दर्यीकरण समिति :

क0सं0	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	धारित पद
1.	श्री महेश गोस्वामी, कर्मशाला अनुदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री विष्णु राम , वरिष्ठ सहायक	सदस्य

यह समिति संस्था परिसर सौन्दर्यीकरण, बागवानी आदि से संबंधित कार्यों के दायित्व का निर्वहन करेगी।

18- विद्युत अनुरक्षण एवं संचालन समिति :

क0सं0	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	धारित पद
	श्री कवित सुयाल, कर्मशाला अनुदेशक	प्रभारी
2.	श्री महेश गोस्वामी, कर्मशाला अनुदेशक	सदस्य

यह समिति संस्था में विद्युत के अनुरक्षण की व्यवस्था उपलब्ध संसाधनों के आधार पर इस प्रकार करेगी जिससे शिक्षण तथा अन्य प्रशासनिक कार्य में न्यूनतम व्यवधान हो। प्रभारी अनुरक्षण एवं संचालन से संबंधित आवश्यक अभिलेख भी सुरक्षित रखेगें।

19- दूरमाष / इंटरनेट / बेवसाइट समिति :

क0सं0	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	धारित पद
	श्री महेश गोस्वामी, कर्मशाला अनुदेशक	प्रभारी
2.	श्री कवित सुयाल, कर्मशाला अनुदेशक	सदस्य

यह समिति संस्था में स्थापित दूरमाष/इंटरनेट आदि के अनुरक्षण की व्यवस्था करेगी। साथ ही संस्था की बेक्साइट के अद्याविधक नवीनीकरण एवं यथा उपयोगार्थ ई—लर्निंग सेन्टर की समस्त व्यवस्थाओं को समुचित रूप से पूर्ण किये जाने हेतु उत्तरदायी रहेगी।

20- सांस्कृतिक कार्यक्रम समिति :

क0सं0	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	धारित पद
1.	श्री कवित सुयाल, कर्मशाला अनुदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री महेश गोरवामी, कर्मशाला अनुदेशक	सदस्य
3.	सुश्री ज्योत्सना सिंह, कम्प्यूटर प्रोग्रामर कम ऑपरेटर	सदस्य

यह समिति संस्था में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर उनके कियान्वयन हेतु आवश्यक व्यवस्था किया जाना सुनिश्चित करेंगी। साथ ही समिति वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता, राष्ट्रीय पर्व पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम भी तय करेगी।

21- कीड़ा एवं शिक्षेणत्तर किया कलाप समिति :

क0सं0	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	धारित पद
1.	श्री महेश गोस्वामी, कर्मशाला अनुदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री कवित सुयाल, कर्मशाला अनुदेशक	सदस्य
3.	श्री गणेश चन्द्र, कनिष्ठ सहायक	सदस्य
4.	श्री आशीष कुमार ठाकुर, कनि० सहा० / कम्प्यू०ऑप०	सदस्य

यह समिति संस्था में नियमित रूप से तथा वार्षिक कीड़ा प्रतियोगिता के संबंध में आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करेगी तथा आवश्यकतानुसार संस्था के अन्य शैक्षणिक एवं शिक्षणेत्तर स्टॉफ का सहयोग ले सकेगी।

22- सुरक्षा एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी समिति :

क0सं0	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	घारित पद
1.	श्री कवित सुयाल, कर्मशाला अनुदेशक	सुरक्षा अधिकारी
2.	श्री महेश गोस्वामी, कर्मशाला अनुदेशक	सहायक सुरक्षा अधिकारी

समिति के प्रत्येक कर्मचारी की जिम्मेदारी होगी कि संस्था परिसर की सम्पूर्ण सुरक्षा / सफाई से संबंधित कार्यों के उत्तरदायित्व का निर्वहन करेंगे।

23- न्यायालय समिति :

करेगी।

क0सं0	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	धारित पद
1.	श्री कवित सुयाल, कर्मशाला अनुदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री महेश गोस्वामी, कर्मशाला अनुदेशक	सदस्य
3.	श्री गणेश चन्द्र, कनिष्ठ सहायक	सदस्य

यह समिति संस्थान के समस्त न्यायालय संबंधी कार्यों को तत्परता से संपादित

24- निष्प्रोज्य एवं नीलामी समिति :

क0सं0	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	धारित पद
1.	श्री कवित सुयाल, कर्मशाला अनुदेशक	स्टोर अधिकारी
2.	श्री महेश गोस्वामी, कर्मशाला अनुदेशक	सहायक स्टोर अधिकारी
3.	श्री आशीष कुमार ठाकुर, कनि०सहा०/कम्प्यू०ऑप०	स्टोर प्रभारी
4.	श्री गणेश चन्द्र, कनिष्ठ सहायक	स्टोर सहायक

यह समिति संस्थान में प्रत्येक वर्ष निष्प्रयोज्य होने वाली सामग्री को नियमानुसार कार्यवाही कर उनकी नीलामी के संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेगी, साथ ही समिति प्रत्येक वर्ष भौतिक सत्यापन तथा अभिलेखों के विनिष्टिकरण के संबंध में भी सुनिश्चित कार्यवाही हेतु आवश्यक कार्य करेगी।

25— संस्था पत्रिका, सूचना प्रकाशन तथा प्रचार प्रसार समिति :

क0सं0	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	घारित पद
1.	श्री कवित सुयाल, कर्मशाला अनुदेशक	समिति संपादक / प्रमारी
2.	श्री विष्णु राम, वरिष्ठ सहायक	सदस्य

समिति दो छात्र प्रतिनिधियों का चुनाव कर उन्हें संपादक मंडल में नामित कर संस्थान की पत्रिका / सूचना प्रकाशन तथा संस्था की उपलब्धियों के प्रचार प्रसार के संबंध में आवश्यक कार्य करेगी।

26- मान्यता / एफिलिएशन समिति :

क0सं0	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	घारित पद
1.	श्री कवित सुयाल, कर्मशाला अनुदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री महेश गोस्वामी, कर्मशाला अनुदेशक	सदस्य
3.	सुश्री ज्योत्सना सिंह, कम्प्यूटर प्रोग्रामर कम ऑपरेटर	सदस्य

यह समिति 2021–22 में होने वाले AISHE/AICTE/NBA की सफलता हेतु समी आवश्यक कार्यों का संपादन करेगी।

27- छात्र परामर्श समिति :

क0सं0	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	घारित पद
1.	श्री कवित सुयाल, कर्मशाला अनुदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री महेश गोस्वामी, कर्मशाला अनुदेशक	सदस्य
3.	सुश्री ज्योत्सना सिंह, कम्प्यूटर प्रोग्रामर कम ऑपरेटर	सदस्य
4.	श्री आशीष कुमार ठाकुर, कनि०सहा०/कम्प्यू०ऑप०	सदस्य

यह समिति संस्था में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के शैक्षणिक/अशैक्षणिक विषयों पर आवश्यकतानुसार छात्र/छात्राओं को परामर्श प्रदान करेंगी।

28- Institute Industry Cell:

क0सं0	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	धारित पद
1.	श्री महेश गोस्वामी, कर्मशाला अनुदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री कवित सुयाल, कर्मशाला अनुदेशक	सदस्य
3.	श्री गणेश चन्द्र, कनिष्ठ सहायक	सदस्य
4.	श्री आशीष कुमार ठाकुर, कनि०सहा० / कम्प्यू०ऑप०	सदस्य

समिति का मुख्य कार्य प्रदेश में स्थापित औद्योगिक इकाइयों से समन्वय बनाते हुये छात्र/छात्राओं का नवीनतम टैक्नोलॉजी से अवगत करायेगी तथा रोजगार परख जानकारियां छात्र/छात्राओं को उपलब्ध करायेंगी।

29- पुरातन छात्र समिति :

क0सं0	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	धारित पद
1.	श्री कवित सुयाल, कर्मशाला अनुदेशक	संयोजक
2.	श्री महेश गोस्वामी, कर्मशाला अनुदेशक	सह संयोजक
3.	सुश्री ज्योत्सना सिंह, कम्प्यूटर प्रोग्रामर कम ऑपरेटर	सह संयोजक

यह समिति संस्था के उत्तीर्ण छात्र—छात्राओं की व्यावसायिक / कैरियर / रोजगार से संबंधित जानकारी एकत्र करते हुये अध्ययनरत छात्र—छात्राओं के लिये रोजगार / उच्च शिक्षा से संबंधित कार्यों को करेंगी। प्रत्येक वर्ष ऑनलाईन / ऑफलाईन मोड में बैठक कराते हुये संस्था हित के कार्यों में उनसे सहयोग प्राप्त करेगी।

430- ग्रीवेंस रिडेशरल समिति :

क0सं0	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	घारित पद
1	श्री कवित सुयाल, संस्थागत	अध्यक्ष
2	श्री महेश गोस्वामी, संस्थागत	सदस्य
3	सुश्री ज्योत्सना सिंह, संस्थागत	सदस्य

यह समिति ग्रीवेंस रिडेशरल समिति से संबंधित सभी मामलों का निवारण करना सुनिश्चित करेगी।

उपरोक्तानुसार सभी समितियां कृत कार्यों की संपूर्ण सूचनाओं तथा बैठक को कार्यवृत्त इत्यादि का रख-रखाव एक रजिस्टर में अंकित करेगी एवं सभी समितियों के सदस्य माह में एक से दो बार आपस में बैठक कर माह में कृत कार्यों की रिपोर्ट (समर्थित अभिलेखों एवं अगले माह की कार्य योजना के साथ) संबंधित समिति के अध्यक्ष के माध्यम से अनिवार्यतः अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेगें। अधोहस्ताक्षरी प्रत्येक माह प्रत्येक समिति अध्यक्षों के साथ एक बैठक करेगे जिसमें अद्यतन कार्य प्रगति एवं भावी कार्य-योजना की समीक्षा की जायेगी।

यह आदेश निर्गत होने के तत्काल बाद से प्रभावी होगें तथा इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(भाष्कर भटट)

समन्वयक / प्रधानाचार्य

काण्डा जनपद वागेश्वर तददिनांकित।

गृ०सं० : ०५-०ने / रा०पा०का० / स्था० / समिति / 2022–23,

निम्न को सूचनार्थ एवं अंकनार्थ।

1- उपरोक्त समस्त समितियों के अध्यक्ष को उनके तथा उनकी समिति के सदस्यों को अनुपालनार्थ।

2- समस्त स्टॉफ के मध्य अंकनार्थ एवं अनुपालनार्थ हेतु।

(भाष्केर भट्ट)

समन्वयक / प्रधानाचार्य

वेगाडा जनगा वारोध्वर

May May